(1853 का राजलेख)

इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गयी । विधि निर्माण हेतु, भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय "विधान परिषद" (All India Legislative Council) की स्थापना की गयी ।

(Gazette of 1853)

This Act provided for the separation of legislative functions from administrative functions. For law making, a separate 12 member "Legislative Council" (All India Legislative Council) was established for India

- विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। The Law Member was made a full member of the Governor General's Council.

 मतदान का अधिकार

- कम्पनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया The recruitment of the company's employees was made based on competitive examinations instead of nominations.

निदेशक - मण्डल के सदस्यों की संख्या 24 से कम कर 18 कर दी गयी ।

The number of members of the Board of Directors was reduced from 24 to 18.

↳ २५-१८

भारत सरकार अधिनियम 1858

▽ इस कानून के द्वारा भारत का शासन कम्पनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। By this law, the rule of India was taken away from the company and it was placed under the British crown.

B. E. I. C -> शासन -> समाप्त (End)

भारत में शासन
ब्रिटिश क्राउन

▽ यह कार्य (महारानी विक्टोरिया की एक राजकीय घोषणा द्वारा किया गया, जिसे भारत के प्रथम वायसराय लार्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवम्बर, 1858 को उद्घोषित किया। This work was done by a royal proclamation of Queen Victoria, which was announced by the first Viceroy of India, Lord Canning, in Allahabad on 1 November 1858.

↳ प्रयागराज

G.G. of India → समाप्त

↓

वायसराय (Viceroy) → प्रथम :- कैनिंग

→ 24-(B)

▽ 'निदेशक मण्डल' (Court of Directors) और 'नियंत्रक मण्डल' (Board of Control) को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत- राज्य सचिव (Secretary of State for India) को दे दिये गये The 'Court of Directors' and the 'Board of Control' were abolished and all their powers were given to the Secretary of State for India.

१) लंदन में बैठेगा।
↳ अंग्रेज

वायस-राय

१) Control (नियंत्रण) → भारत - राज्य सचिव

(A) → वायस-राय
(B) → भारत - राज्य सचिव
(C) → महारानी

▽ भारत- सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा- भारत - परिषद् (India Council) - की स्थापना की गयी । To assist the Secretary of India, a 15-member assembly - India Council - was established.

गृह सरकार (Home Govt.)

15 सदस्य

▽ गवर्नर-जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा और इस कारण उसे वायसराय (Viceroy) भी कहा गया।

The Governor-General started working as the representative of the British Emperor in India and for this reason he was also called Viceroy.

Representative of British Govt.

Representative of Public जनता के प्रतिनिधि ⇒ MP/MLA

भारतीय परिषद अधिनियम 1861
(The Indian Council Act, 1861)

- सर्वप्रथम ' भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया *For the first time an attempt was made to make Indians partners in governance*

वायसराय

- गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नये प्रान्त के निर्माण का तथा नव निर्मित प्रान्त में गवर्नर या लेफ्टिनेन्ट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया । The Governor General was given the power to create new provinces for legislative work and to appoint a Governor or Lieutenant Governor in the newly created province.



- केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। पांचवें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया।
 The number of members of the Central Executive was increased from 4 to 5. It was made mandatory for the fifth member to be a jurist.

केंद्रीय कार्यपालिका
↳ members - 4
↳ 4 से बढ़ाकर 5

- भारत परिषद' को विधायी संस्था बनाया गया The Indian Council was made the legislative body

- गवर्नर-जनरल को अपनी परिषद् (Council) में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया जो सभी मनोनीत थे ।
- आधे सदस्यों का गैर-सरकारी होना आवश्यक था

- The Governor-General was given the power to increase his Council from 6 to 12 members, all of whom were nominated.
- Half the members were required to be non-official

G.G. (वायसराय)

↳ Council परिषद ⇒ सदस्य ⇒ 4

↳ वायसराय ⇒ Council में — Minimum - 6, Maximum - 12 सदस्य

आधे - गैर - सरकारी

Non - Govt.

- वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में 'विभागीय प्रणाली' (Portfolio System) की शुरूआत की Viceroy Lord Canning introduced the 'Portfolio System' in India



भारत में 'मंत्रिमंडलीय व्यवस्था' की नींव पड़ी।

- The foundation of the 'Cabinet System' was laid in India.

→ कैबिनेट स्तर के मंत्री

- गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश (Ordinance) जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया The Governor General was given the power to issue ordinances in times of emergency without the permission of the Legislative Council.

राष्ट्रपति / राज्यपाल ⇒ अध्यादेश (Ordinance)

भारतीय परिषद अधिनियम 1892

(The Indian Council Act : 1892)

- निर्वाचन पद्धति का आरम्भ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। The introduction of the electoral system is an important feature of this Act.

→ Indirect election / अप्रत्यक्ष निर्वाचन

- भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछनें का अधिकार दिया गया
- किन्तु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछनें का अधिकार नहीं था।

Indian members were given the right to debate on the budget and to ask questions to the executive on a six-day notice, but not to vote or to ask supplementary questions.

→ जब किसी के द्वारा दिये गये उत्तर में से प्रश्न पूछा जाता है तो उसे अनुपूरक प्रश्न कहते हैं।

भारत परिषद् अधिनियम, 1909 ई.

(The Indian Council Act : 1909 ई.)

- मार्ले-मिन्टो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है।
- Also called Morley-Minto Reforms Act.

भारत राज्य-सचिव — मार्ले

वायसराय — मिन्टो

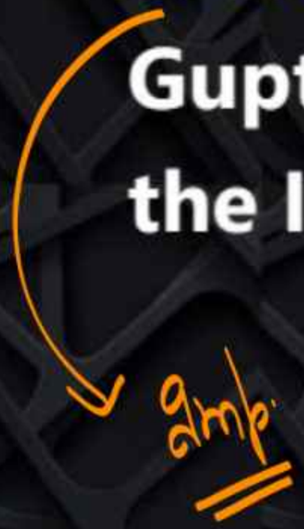
- केन्द्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गयी। The number of additional members in the Central Legislative Council was increased from 16 to 60.

- मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर 'फूट डालो और राज करो की नीति अपनायी गयी

 I The policy of divide and rule was adopted by providing separate voting rights and separate electorate for the Muslims.

- सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। For the first time, Indian members were included in the India Council and the Viceroy's Executive Council.

- दो भारतीय के. सी. गुप्ता तथा सैयद हुसैन विलग्रामी को इंग्लैण्ड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया। Two Indians, K.C. Gupta and Syed Husain Wilgrami were appointed to the India Council in England.



- एस०पी० सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया
- वायसराय की कार्यकारणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय थे।

- S.P. Sinha was included as a legal member in the Viceroy's Executive
- He was the first Indian to be included in the Viceroy's Executive

भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)

- सर्वप्रथम 'उत्तरदायी शासन' शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था For the first time the term 'responsible government' was used clearly.

भारत राज्य सचिव वायसराय

- भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12 निश्चित की गयी । The number of members of the Indian Council was fixed at a minimum of 8 and a maximum of 12.

Indian Council
भारत परिषद ⇒ 1858 ⇒ सदस्यों की संख्या ⇒ 15
⇒ 1919 ⇒ सदस्यों की संख्या < Minimum ⇒ 8
Maximum ⇒ 12

- इस अधिनियम द्वारा पहली बार (प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनायी गयी For the first time, the direct election system was adopted by this Act

मतदान सीमित था, केवल कुछ लोगों को प्राप्त।
१८% => अमीर
=> Tax (ज्यादा)